AT LISU



अत्ताधारण EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड ३ — उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकृाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 22, 2001/आषाढ़ 1, 1923 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 22, 2001/ASADHA 1, 1923

# पोत परिवहन मंत्रालय

## ( पत्तन पक्ष )

## अधिसूचना

# नई दिल्ली, 22 जून, 2001

सा. का. नि. 452( अं). — केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप धारा (6) के साथ पठित उक्त धारा की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा कांडला पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में ''गांधीधाम वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (जी. सी. सी. आई)'' का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री अशोक सी. शर्मा को न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार के तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय (पशन पक्ष) की दिनांक 24 मई, 2000 की अधिसूचना सा. का. नि. सं. 489(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

 उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 18 और उसकी प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :---

'' 19. श्री अशोक सी. शर्मा ः गांधीधाम वाणिण्य एवं उद्योग मंडल

सं. 319]

No. 319]

गाधाधाम वााणज्य एव उद्याग मडल (जी. सी. सी. आई) का प्रतिनिधित्व करने के लिए''

[फा. सं.पीटी-18011/6/99-पी टी] एम. रामचन्द्रन, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF SHIPPING

### (Ports Wing)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2001

G.S.R. 452(E).—In exercise of powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) read with Sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoints Shri Ashok C. Sharma as a Trustee to represent "Gandhidham Chamber of Commerce & Industry (GCCI)" on the Board of Trustees for the Kandla Port Trust and makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Ports Wing) G.S.R. No. 489 (E), dated 24th May, 2000.

2. In the said notification, after Serial No. 18 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted namely :----

"19. Shri Ashok C. Sharma : Representing the Gandhidham Chamber of Commerce and Industry (GCCI)."

[F. No. PT-18011/6/99-PT]

M. RAMACHANDRAN, Jt. Secy.

1946 GI/2001